RITES
THE INFRASTRUCTURE PEOPLE

राइट्स लिमिटेड
(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)
RITES LIMITED
(Schedule 'A' Enterprise of Govt. of India)

Date : 08.07.2019

To:	To:
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited. 'Exchange Plaza', C-1, Block G, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	**Corporate Relationship Department, BSE Limited, Rotunda Building, P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001**
Scrip Code- RITES	**Scrip Code- 541556**

Sub: Submission of Annual General Meeting Notice Advertisement

Dear Sir/ Madam,

Please find enclosed herewith Annual General Meeting Notice published by the Company in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on 6th July, 2019.

Thanking You,

Yours faithfully,
For RITES Limited

राइट्स लिमिटेड गुड़गाँव Gurgaon RITES LIMITED

Ashish Srivastava
Company Secretary & Compliance Officer
FCS: 5325

CIN : L74899DL1974GOI007227

कॉर्पोरेट कार्यालयः राइट्स भवन नं0. 1, सेक्टर–29, गुड़गाँव–122 001 (भारत) **Corporate Office:** RITES Bhawan, No. 1, Sector-29, Gurgaon-122 001 (INDIA)
पंजीकृत कार्यालयः स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110 092. (भारत) **Registered Office:** SCOPE Minar, Laxmi Nagar, Delhi-110 092, (INDIA)
दूरभाषः (Tel.): (0124) 2571666, फैक्स (Fax): (0124) 2571660, ई–मेल (E-mail) info@rites.com वेबसाइट (Website): www.rites.com

CIN: U74899DL1974GOI007227

Make in India and Export

You focus on exports. We cover the risks.

ECGC Ltd.
(formerly known as Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd)
(A Government of india Enterprise)
Registered Office: Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021, India.
• Tel: 6659 0500 / 6659 0510 • Fax: (022) 6659 0517 • Toll-free: 1800-22-4500 • Website: www.ecgc.in

Insurance is the subject matter of solicitation.
IRDA Regn.No.124
CIN No. U74999MH1957GO1010918

JLR to make multi-million pound e-car investment in UK plant

COSTAS PITAS
London, July 5

BRITAIN'S BIGGEST CARMAKER Jaguar Land Rover is making a multi-million pound investment to build electric vehicles in its home market, in a major boost to a sector hit by a slump in diesel sales and Brexit uncertainty.

The firm is undergoing a turnaround designed to offer an electrified option to all of its new models from 2020 as it seeks to move away from its reliance on diesel vehicles which are being increasingly shunned by buyers.

Jaguar Land Rover (JLR), which built 30% of Britain's 1.5 million cars last year, will make a range of electrified vehicles at its Castle Bromwich plant in central England, beginning with its luxury saloon, the XJ.

"The future of mobility is electric and, as a visionary British company, we are committed to making our next generation of zero-emission vehicles in the UK," said Chief Executive Ralf Speth on Friday.

JLR has long warned about the dangers of a no-deal Brexit and the need to maintain frictionless trade with the European Union, echoing fears in the sector that just-in-time production could be hit by customs delays and additional bureaucracy.

JLR will make a range of electrified vehicles at its Castle Bromwich plant in central England, beginning with its luxury saloon, the XJ

But it has signed a deal with workers at the Castle Bromwich factory to go from a 5-day to a 4-day working week with the same amount of hours which should allow the plant to operate more efficiently.

Friday's investment announcement comes after a turbulent few months for the firm which announced around 4,500 job cuts earlier in January and posted a £3.66 billion ($4.5 billion) loss in 2018/19.

JLR also called on the government to bring giga-scale battery production to the country so that UK is not left behind in the rush to produce low and zero-emissions vehicles and technology.

—REUTERS

Chasing SpaceX, Amazon set to launch 3k internet satellites

BLOOMBERG
Washington, July 5

AMAZON.COM ASKED FOR US permission to launch 3,236 communications satellites, joining a new space race to offer internet service from low orbits and challenge the fleet planned by Elon Musk's SpaceX.

Amazon in a July 4 filing told the Federal Communications Commission its Kuiper satellites will deliver broadband to tens of millions of consumers and businesses that now lack adequate access to the internet. The agency coordinates trajectories and radio-frequency use.

The FCC already has approved nearly 13,000 low-Earth orbit satellites. Those include 11,943 for Musk's Space Exploration Technologies Corp., which launched an initial batch of 60 spacecraft in May.

At low-Earth orbit — altitudes of 112 to 1,200 miles (or about 180 to 2,000 kilometers) — satellites need to race around the globe to stay aloft, completing orbits in as little as 90 minutes. As one moves toward the horizon it will hand off signal duties to the next satellite coming by. Many satellites are needed if continuous, widespread coverage is the goal.

Amazon in its FCC application said its satellites would operate at altitudes of about 370-to-390 miles (590-to-630 km).

Amazon chief executive officer Jeff Bezos last month said the Kuiper project will cost "multiple billions of dollars." The project is separate from Bezos's space launch vehicle maker, Blue Origin.

MUTUAL FUND
Essel

ESSEL FINANCE AMC LIMITED
(Formerly Peerless Funds Management Co. Limited)
Registered and Corporate Office:
Peerless Mansion, 1, Chowringhee Square, Kolkata-700069
Tel: 033 40185000; Fax: 033 40185010; Toll free no. 1800 103 8999,
Website: **www.esselfinance.com**, email: **mutualfund@esselfinance.com**
CIN: U65990WB2009PLC134537

NOTICE CUM ADDENDUM (No. 9 of 2019-2020)

Notice is hereby given that Mr. Sudhir Joshi ceases to be Director from the Board of Essel MF Trustee Limited (erstwhile Peerless Trust Management Co. Limited) w.e.f. July 02, 2019. In view of the same, details of Mr. Sudhir Joshi be deleted from the Statement of Additional Information Document ("SAI") of Essel Mutual Fund.

This notice-cum-addendum forms an integral part of the SAI of Essel Mutual Fund.

All other terms and conditions of the SAI of the Essel Mutual Fund shall remain unchanged.

For Essel Finance AMC Limited
{Formerly Peerless Funds Management Co. Limited}
(Investment Manager to Essel Mutual Fund)
{Formerly Peerless Mutual Fund}

Place: Mumbai
Date: July 05, 2019

Sd/-
Authorized Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

US coal tycoon Chris Cline dies in chopper crash

REUTERS
San Francisco, July 5

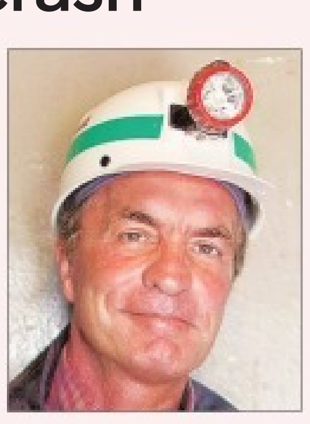

CHRISTOPHER CLINE, THE billionaire coal tycoon best known for reviving Illinois's mining industry and making a fortune doing it, died in a helicopter crash on Thursday.

Cline died in an accident off the coast of the Bahamas that also killed six other people, Brian Glasser, an attorney who represented Cline, said by telephone. He was the founder of St. Louis, Missouri-based coal miner Foresight Energy, a joint venture with Robert Murray's Murray Energy.

Cline, who died a day shy of his 61st birthday, was born into coal. His grandfather dug up the rock with a pickaxe, and he himself started working the mines at 22. Ten years later, he founded the Cline Group to extract coal from beneath the hollows and rolling hills of Appalachia. He created Foresight to expand into Illinois in 2006. At its peak, the company was valued at more than $2.6 billion. "Chris Cline built an empire and on every occasion was always there to give," West Virginia Governor — and fellow coal miner — Jim Justice said on Twitter.

info@basantbi.com BASANT-BI www.basantbi.com
BASANT MOHINDER GROUP

MANUFACTURERS & EXPORTERS OF : POWER PRESSES, SHEET METAL MACHINERY
BASANT INDUSTRIES
369, Industrial Area "B" Basant Road, Ludhiana-141003 (PB.)
Telephone: 0161 2534573, 5027888 Mobile : +91 97816-08888, +91 9914337888
Delhi Office :
C-124, Naraina, Industrial Area Phase-I, Delhi- 093138 98877

TAURUS ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
CIN: U67190MH1993PLC073154
Head Office & Regd Office : Ground Floor, AML Centre-1, 8 Mahal Industrial Estate, Mahakali Caves Road, Andheri (E), Mumbai - 400 093. Tel: 022 - 6624 2700
Email: **customercare@taurusmutualfund.com** A copy of CSID, SAI and CKIM along with application form may be obtained from Fund's Website: **www.taurusmutualfund.com**

TAURUS Mutual Fund

CORRIGENDUM TO NOTICE CUM ADDENDUM TO THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION ('SAI'), SCHEME INFORMATION DOCUMENTS ('SIDs') AND KEY INFORMATION MEMORANDUM ('KIMs') OF ALL SCHEMES OF TAURUS MUTUAL FUND ('THE MUTUAL FUND')

This has reference to our notice cum addendum dated published on July 05, 2019 No. 05/2019-20, Kindly note that there has been an inadvertent error in the column heading of the table, the TER given under the heading - **"Regular Plan"** be read as TER for **"Direct Plan - Existing"** & TER given under the column **"Direct Plan"** be read as TER for **"Direct Plan - Proposed"**.

The Table stands corrected as under for **BASE Total expense Ratio (TER)** of Scheme(s) of Taurus Mutual Fund.

Scheme Name(s)	BASE TER	
	Direct Plan - Existing	Direct Plan - Proposed w.e.f. July 11, 2019
Taurus Tax Shield	1.43	1.73
Taurus Starshare (Multi Cap) Fund	2.13	2.19
Taurus Discovery (Midcap) Fund	1.68	1.83
Taurus Ethical Fund	0.67	1.75
Taurus Banking & Financial Services	1.65	1.32
Taurus Largecap Equity Fund	2.11	1.90
Taurus Infrastructure Fund	2.11	1.59
Taurus Nifty Index Fund	0.75	0.65
Taurus Liquid Fund (Super Institutional Plan)	0.27	0.30

Investors may also visit our website, www.taurusmutualfund.com for disclosure(s) relating to TER appearing under sub-section titled "Total Expense Ratio of Mutual Fund Schemes" appearing under Section "Statutory Disclosures". The said information about change in base TER is provided in accordance with SEBI Circular no. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/18 dated February 05, 2018 for **"Total Expense Ratio - change and disclosure"**.

For **Taurus Asset Management Company Ltd.**
(Investment Manager for Taurus Mutual Fund)
Sd/-
Authorised Signatory

Place: **Mumbai**
Date: **July 05, 2019**
Notice cum Addendum No. 06/2019-20

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

No. 46-07/2019-LI
Government of India
Department of Posts
(Directorate of Postal Life Insurance)

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

Directorate of Postal Life Insurance, Department of Posts, Government of India invites applications for Expression of Interest (EOI) from experienced and reputed entities for their appointment as the Custodian of Securities for managing investment of Post Office Life Insurance Fund (POLIF) and Rural Post Office Life Insurance Fund (RPOLIF).

Detailed terms and conditions are prescribed in the EOI document, which is available on the CPP Portal **https://eprocure.gov.in** and India Post Portal **www.indiapost.gov.in.** The last date for submission of completed application electronically on the CPP Portal https://eprocure.gov.in using valid Digital Signature Certificates is 25.07.2019 (1500 Hrs).

The applications will be evaluated in accordance with the criteria for evaluation to shortlist applicants as prescribed in the EOI document. At a subsequent stage, the Request for Proposal (RFP) will be sent to the short -listed applicants only.

davp-06302/11/0007/1920 **General Manager (B&I)**

RITES THE INFRASTRUCTURE PEOPLE

RITES LIMITED
(A Government of India Enterprise)
Registered Office: RITES Limited, SCOPE Minar, Laxmi Nager, Delhi - 110 092, India
CIN No.: L74899DL1974GOI007227

NOTICE OF 45th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that 45th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on 30th July, 2019 at 10.00 AM at Zoravar Hall, Manekshaw Centre, Khyber Lines, Delhi Cantonment, New Delhi – 110010 to transact the business as set out in the notice of the AGM.

Notice of 45th AGM, Annual Report for financial year 2018-19 along with the attendance slip and proxy form have been sent in electronic mode to the members whose e-mail IDs are already registered with the company or the depository participants, unless the members have registered their request for a hard copy of the same. Physical copy of the same has been sent to all those members, who have not registered their e-mail IDs with the company or depository participants.

The notice of AGM and Annual Report are also available on the company's website at www.rites.com under the section Investors. Members, who do not receive the notice of AGM and Annual Report, may download it from the company's website or may request for a copy of the same by writing to the company secretary at the registered office address of the company. The documents pertaining to all the items of business to be transacted in the said AGM are open for inspection at the registered office of the company during business hours on any working day upto and including the date of AGM.

Pursuant to provisions of section 108 of the Companies Act 2013 (The Act), read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2013, as amended, and regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), the company is providing a facility to its members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on 23rd July, 2019 (cut-off date), for casting their votes electronically on each item as set forth in the notice of the AGM through the electronic voting system provided by National Securities Depositories Limited from the place other than the venue of AGM (remote e-voting).

All members are therefore hereby informed that:

1. The ordinary and special businesses as set out in the notice of 45th AGM may be transacted through voting by electronic means;
2. The remote e-voting shall commence on Friday, 26th July, 2019 at 09:00 a.m. (IST) and shall end on Monday, 29th July, 2019 at 05:00 p.m. (IST);
3. The cut-off date for determining the eligibility to vote through remote e-voting or at the AGM will be 23rd July, 2019;
4. Any person, who acquires the shares of the company and become the member of company after dispatch of notice of AGM and holds share as on the cut-off date i.e., 23rd July, 2019 may obtain the login ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or Issuer/ RTA. However, if the Member is already registered with NSDL for remote e-voting, then such members can use the existing user ID and password for casting his/her vote.
5. We further state that:
   a) Remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. (IST) from 29th July, 2019;
   b) The facility for voting through ballot paper shall be made available at the venue of AGM and the members attending the meeting, who have not cast their vote by remote e-voting, shall be eligible to exercise their right to cast their vote at the meeting through ballot paper;
   c) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast vote again in the meeting. In case, it is found later that any member has cast their vote in the remote e-voting and thereafter cast the vote in the AGM, the voting done by remote e-voting only shall be considered;
   d) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of the beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 23rd July, 2019 only, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting through physical ballot at the AGM.
6. The annual report of the company including the notice of AGM of the company is hosted on the website of the company at www.rites.com and the e-voting website of National Securities Depositories Limited i.e. www.evoting.nsdl.com.
7. In case of any queries, members may refer to the frequently asked questions (FAQs) and remote e-voting user manual available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or contact Ms Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depositories Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Paral, Mumbai- 400013, at the designated email address: pallavid@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in or at telephone no. - +91 22 24994545 or Contact Mr. Swapan Kumar Naskar, AVP- North India Operation, Link Intime India Pvt. Ltd, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110058, Phone: +91 11 49411000, Extn-7106 and email id - swapann@linkintime.co.in, who will also address grievances connected with voting by electronic means.
8. Notice is also hereby given, under section 91 of the act and regulation 42 of the listing regulations that the register of members and share transfer books of the company will remain closed from 24.07.2019 to 30.07.2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the company. Dividend will be paid to the shareholders holding shares on record date fixed by the company i.e July 11, 2019.

By Order of the Board
Sd/-
Ashish Srivastava
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Gurugram
Date: 06/07/2019

INFIBEAM AVENUES

INFIBEAM AVENUES LIMITED
(Formerly known as Infibeam Incorporation Limited)
[CIN: L64203GJ2010PLC061366]
Registered Office: 28th Floor, GIFT Two Building, Block No. 56, Road-5C, Zone-5, GIFT CITY, Gandhinagar, Taluka & District - Gandhinagar - 382 355

NOTICE OF THE 9TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 9th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Infibeam Avenues Limited (Formerly known as Infibeam Incorporation Limited) ('the Company') will be held on Tuesday, July 30, 2019 at 10.30 a.m. at 23rd Floor, GIFT Two Building, Block No. 56, Road-5C, Zone-5, GIFT CITY, Gandhinagar, Taluka & District - Gandhinagar – 382 355, Gujarat to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice of the AGM.

The Notice of the AGM, Attendance slip and Annual Report for the Financial Year 2018-19 have been sent by email to all those members of the Company whose email IDs are registered with the Company/Depository Participants and the physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The above documents are also available on the Company's website i.e. www.ia.ooo.

NOTICE is hereby further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable rules made there under and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, July 23, 2019 to Tuesday, July 30, 2019 (both days inclusive), for the purpose of 9th AGM of the Company.

As per the Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its members the facilities to cast their vote by 'Remote e-voting' (i.e. e-voting from a place other than venue of AGM) on all the resolutions set forth in the said Notice. The details as required pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made there under are given here under:

1	Date of completion of dispatch of Notice of AGM	July 05, 2019
2	Date & Time of commencement of Remote e-voting	9.00 a.m. on Saturday, July 27, 2019
3	Date & Time of end of Remote e-voting	5:00 p.m. on Monday, July 29, 2019
4	Cut-off date for determining rights of entitlement of Remote e-voting	Tuesday, July 23, 2019
5	Those persons who have acquired shares and have become members of the Company after dispatch of notice of AGM by the Company and whose names appear in the Register of Members of the Company/ in the statement of beneficial owners maintained by depositories as on cut-off date can exercise their voting rights through Remote e-voting by following the procedure as mentioned in the said Notice of AGM.	
6	Remote e-voting shall not be allowed beyond	After 5:00 p.m. on Monday, July 29, 2019
7	Manner of casting vote on resolutions at the venue of AGM	The facility of voting through 'Ballot Paper' shall be made available at the venue of AGM. E-voting facility will not be made available at the venue of AGM. Members who have already cast their vote by remote e-voting prior to the AGM can attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at AGM.
8	Notice of AGM is available on Company's website & on CDSL website	www.ia.ooo ; www.cdslindia.com ; www.evotingindia.com
9	Any queries or grievances pertaining to remote e-voting	Members may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQ") and the e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or contact at toll free no. 1800-22-5533. In case of any grievances relating to e-voting, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager at A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai-400013 at e-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com and aforesaid toll free number.

By order of the Board,
For, Infibeam Avenues Limited
(Formerly known as Infibeam Incorporation Limited)
Sd/-
Shyamal Trivedi
Vice President & Company Secretary

Place: Gandhinagar
Date : July 05, 2019

YES MUTUAL FUND

YES Asset Management (India) Limited
602B, 6th Floor, Indiabulls Finance Centre (IFC) 1 & 2, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai – 400 013. **Website:** www.yesamc.in
Tel. No.: +91(22) 4082 7600 **Fax No.:** +91 (22) 4082 7653
Email: clientservice@yesamc.in **CIN** - U65990MH2017PLC294178

NOTICE-CUM-ADDENDUM NO. 14 /2019

NOTICE-CUM-ADDENDUM TO THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION ("SAI") OF YES MUTUAL FUND

Change in Key Personnel of YES Asset Management (India) Limited ("YES AMC")

Notice is hereby given that, Mr. Sandeep Prabhani has ceased to be Chief Operating Officer ("COO") of YES AMC with effect from close of business hours on July 03, 2019. Accordingly, the details of Mr. Prabhani appearing in SAI under the para titled "**Information on Key Personnel of the Asset Management Company**" shall stand deleted.

Ms. Shobha Ramchandani, Head Operations, has now been designated as a Key Personnel of YES AMC with effect from July 04, 2019. Accordingly, following details pertaining to Ms. Ramchandani shall be incorporated in SAI under the para titled "**Information on Key Personnel of the Asset Management Company**".

Name	Designation	Age	Education Qualification	Total no. of years of experience	Assignments held since first employment till the date		
					Name of Company	Job title	Duration
Ms. Shobha Ramchandani	Head Operations	40	ACA, FRM	17	YES Asset Management (India) Ltd.	Head Operations	Apr 17, 2018 till date
					IDFC Asset Management (India) Ltd.	SVP Operations	Dec 4, 2009 – Apr 16, 2018
					Shinsei Asset Management (India) Pvt. Ltd.	AVP Operations	June 2007 – Nov 2009
					HSBC Bank	AVP Operations	Jan 2007 – May 2007
					JM Financial Asset Management Ltd.	Manager Operations	Sept 2004 – Dec 2006
					PWC & Co	Senior	Sept 2002 – Aug 2004

This addendum forms an integral part of the SAI of YES Mutual Fund and all the other terms and conditions of the SAI will remain unchanged.

For YES Asset Management (India) Limited
(Investment Manager for YES Mutual Fund)
Sd/-
Authorised Signatory

Place: Mumbai
Date: July 05, 2019

Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

किसको क्या मिला

करदाता

☆ 45 लाख तक का घर खरीदा है तो गृह ऋण पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त, 3.50 लाख तक ब्याज पर कर नहीं। पहले छूट की सीमा दो लाख रुपए थी। यह छूट 31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले घर के लिए है।

☆ देश में 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। जिनके पास पैन नहीं है, वे आधार कार्ड से आयकर रिटर्न भर सकते हैं।

☆ नकदी में कारोबारी भुगतान करने की प्रवृत्ति पर अंकुश के लिए एक बैंक खाते से साल में एक करोड़ से ज्यादा निकालने पर दो फीसद का टीडीएस लगेगा।

☆ इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए अगर कर्ज लिया गया है तो उसका ब्याज चुकाने पर आयकर में 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

☆ जो स्टार्टअप कर घोषणापत्र दाखिल करेंगे, उनके द्वारा जुटाए गए फंड के मामले में आयकर किसी तरह की जांच नहीं करेगा।

☆ सालाना 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर अभी 25 फीसद है। अब 400 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियां भी 25 फीसद कॉरपोरेट कर के दायरे में आ जाएंगी। यानी 99.3 फीसद कंपनियां 25 फीसद कॉरपोरेट कर के दायरे में होंगी। सिर्फ 0.7 फीसद कंपनियां इस स्लैब से बाहर होंगी।

☆ दो करोड़ से पांच करोड़ रुपए की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर तीन फीसद और पांच करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर सात फीसद किया जाएगा।

गांव, गरीब और किसान

☆ 2022 तक सभी को आवास का लक्ष्य। 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण होगा। इनमें टॉयलेट और बिजली और रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे।

☆ जल शक्ति मंत्रालय 2024 तक हर घर को जल सुनिश्चित करेगा।

☆ पांच साल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1.25 लाख किमी सड़क का निर्माण होगा। इस पर 80250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

☆ गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। स्वच्छता अभियान के तहत अब हर गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होगी।

☆ 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठनों का अगले पांच साल में गठन किया जाएगा।

☆ शून्य बजट खेती पर जोर, बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका उद्देश्य है। इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा।

☆ खाद्यानों, दलहनों, तिलहनों, फलों और सब्जियों की स्व-पर्याप्तता और निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया गया।

☆ ग्रामीण रोजगार के लिए स्फूर्ति (स्किम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन ऐंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज) योजना की शुरुआत। इसके तहत अगले 5 साल में 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे।

☆ 2019-20 के दौरान 100 नए बांस, शहद और खादी कलस्टर की स्थापना होगी। ऐसे उद्योगों में कौशल विकास के लिए 80 आजीविका बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ आईटी विकास के लिए 20 बिजनेस इंक्यूबेटर बनाए जाएंगे।

☆ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्यिकी ढांचे की स्थापना होगी

☆ किसानों का जीवन और व्यवसाय आसान बनाने के लिए काम किए जाएंगे। सरकार कृषि अवसंरचना में निवेश करेगी।

☆ किसानों के उगाए फसलों में मूल्यवर्धन के लिए निजी उद्यम को बढ़ावा। बांस, लकड़ी और ऊर्जा के क्षेत्र में किसानों को बड़ी मदद दी जाएगी।

☆ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2019-20 से 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराए जाएंगे। इनमें रसोई गैस, बिजली और शौचालयों जैसी सुविधा होगी।

☆ 5.6 लाख गांव अबतक खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। दो अक्तूबर, 2019 को भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा।

उद्योगपति- व्यापारी- कारोबारी

☆ प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना से 1.5 करोड़ रुपए से कम कारोबार वाले खुदरा व्यापारियों को पेंशन लाभ।

☆ सभी दुकानदारों को 59 मिनट में कर्ज। तीन करोड़ छोटे दुकानदारों को फायदा।

☆ हवाई क्षेत्र, मीडिया, एनिमेशन, बीमा क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाने के उपाय

☆ बीमा कंपनियों में 100 फीसद एफडीआइ की इजाजत।

☆ खुदरा क्षेत्र को बढ़ावा। एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में निवेश मानक आसान किए जाएंगे।

☆ शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सरकारी शेयरधारिता 25 फीसद से बढ़ाकर 35 फीसद करने का प्रस्ताव।

☆ स्टार्टअप के लिए टीवी चैनल शुरू होगा।

☆ स्टार्ट अप में निवेश करने के लिए आवासीय मकान की बिक्री से प्राप्त होने वाले सभी पूंजी लाभों की छूट अवधि 2021 तक बढ़ाने का प्रस्ताव।

महिलाएं- युवा

☆ नारी तू नारायणी योजना लांच होगी। एक कमेटी बनेगी जो देश के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर सुझाव रखेगी।

☆ जनधन बैंक खाता रखने वाली महिलाओं को 5000 रुपए के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।

☆ स्वयं सहायता समूहों में काम करने वाली किसी एक महिला को मुद्रा योजना के तहत एक लाख रुपए का कर्ज मिल सकेगा।

☆ राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाएगी। 400 करोड़ रुपए से विश्व स्तरीय संस्थान बनाए जाएंगे।

☆ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव। राष्ट्रीय हित की शोध को प्राथमिकता दी जाएगी।

☆ उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए नियमन प्रणाली में और सुधार लाया जाएगा, ताकि देश में उच्च शिक्षा का माहौल अंतरराष्ट्रीय स्तर का बन सके।

☆ खेलो इंडिया योजना के तहत राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की शुरुआत होगी। खिलाड़ियों के विकास के लिए बड़ा अभियान चलाया जाएगा।

पेट्रोल 2.50 और डीजल 2.30 रुपए प्रति लीटर होगा महंगा

नई दिल्ली, 5 जुलाई (भाषा)।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के शुक्रवार को बजट में ईंधन पर कर बढ़ाने की घोषणा के बाद पेट्रोल के दाम में 2.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 2.30 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि होगी। वित्त मंत्री ने वाहन ईंधनों पर उत्पाद शुल्क और सड़क एवं अवसंरचना उपकर में कुल मिला कर दो-दो रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इससे सरकार को 28,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

स्थानीय बिक्री कर या मूल्यवर्धित कर (वैट) को जोड़ने के बाद पेट्रोल में ढाई रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम में 2.30 रुपए की वृद्धि होगी। शुक्रवार को, दिल्ली में पेट्रोल के दाम 70.51 रुपए और मुंबई में 76.15 रुपए है। वहीं,

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ईंधन पर कर बढ़ाने की घोषणा की

डीजल दिल्ली में 64.33 रुपए प्रति लीटर और मुंबई में 67.40 रुपए प्रति लीटर है। वित्त मंत्री ने कच्चे तेल पर भी एक रुपए प्रति टन का सीमाशुल्क या आयात शुल्क भी लगाया है। भारत 22 करोड़ टन से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है और नए शुल्क से सरकार को 22 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

वर्तमान में, सरकार ने कच्चे तेल पर कोई सीमाशुल्क नहीं लगाया हुआ है और इसके आयात पर केवल राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) के रूप में सिर्फ 50 रुपए प्रति टन का शुल्क लगता है। वित्त मंत्री ने कहा कि कच्चा तेल ऊंचे स्तर से अब नीचे की ओर आ रहा है। इससे पेट्रोल और डीजल पर उपकर एवं उत्पाद शुल्क की समीक्षा करने की गुंजाइश पैदा हुई है। मैंने पेट्रोल और डीजल प्रत्येक पर दो-दो रुपए का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क एवं अवसंरचना उपकर बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। वर्तमान में पेट्रोल पर कुल 17.98 रुपए प्रति लीटर का उत्पाद शुल्क और उपकर (सामान्य उत्पाद शुल्क 2.98 रुपए, विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क सात रुपए और सड़क एवं अवसंरचना उपकर आठ रुपए) लगता है। वहीं, डीजल पर कुल 13.83 रुपए प्रति लीटर के शुल्क (सामान्य उत्पाद शुल्क 4.83 रुपए, विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एक रुपए और सड़क एवं अवसंरचना उपकर 8 रुपए) लगते हैं।

साल में 50 लाख से ज्यादा भुगतान करने पर टीडीएस अनिवार्य

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 जुलाई।

कर दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने ठेकेदारों या पेशेवरों को एक साल में 50 लाख रुपए सालाना से अधिक का भुगतान करने वाले व्यक्ति के लिए पांच फीसद की दर से 'स्रोत पर कर कटौती' (टीडीएस) अनिवार्य कर दी है। इस प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसके तहत टीडीएस की राशि को व्यक्ति अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) के माध्यम से सरकारी खजाने में जमा करा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को पेश आम बजट 2019-20 में चालू खाते में एक करोड़ रुपए से अधिक जमा करने, एक लाख रुपए से अधिक बिजली बिल का भुगतान करने और एक साल में विदेश यात्रा पर दो लाख रुपए खर्च करने वालों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है।

मौजूदा समय में जिस व्यक्ति या हिंदू संयुक्त परिवार (एचयूएफ) का कारोबार या पेशा ऑडिट के दायरे में नहीं आता है उसे निजी उपभोग के लिए किसी स्थायी ठेकेदार या पेशेवर की सेवा का भुगतान करने पर टीडीएस नहीं काटना होता है। बजट में इस तरह के व्यक्तियों और एचयूएफ के किसी ठेकेदार या पेशेवर को सालाना 50 लाख से अधिक का भुगतान करने पर पांच फीसद की दर से टीडीएस काटने के लिए अलग से एक प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए किए गए भुगतान को भी शामिल किया गया है। इसमें संपत्ति की खरीद के साथ क्लब की सदस्यता, कार पार्किंग शुल्क, बिजली या जलापूर्ति सेवाओं का भुगतान, रख-रखाव शुल्क समेत अन्य तरह के शुल्क भी शामिल हैं।

बजट में भारतीय निवासियों द्वारा अनिवासियों को धन या देश में स्थित संपत्ति के रूप में कर-तोहफा देने का भी प्रस्ताव किया गया है। इस तरह के तोहफे पांच जुलाई 2019 के बाद से दिए जा सकेंगे। आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में सरकार ने पैन की जगह आधार कार्ड के इस्तमाल की छूट देने का भी प्रस्ताव किया है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति पैन संख्या नहीं रखता है लेकिन आधार संख्या उसके पास है तो आयकर के तहत रिटर्न दाखिल करते समय भी आधार संख्या का उपयोग कर सकता है।

अमीरों को अधिक चुकाना होगा आयकर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 5 जुलाई।

वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में आम आयकरदाताओं के लिए कर स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अमीरों को अब अपनी आय पर अधिक आयकर चुकाना होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट पेश करते हुए दो करोड़ रुपए से लेकर पांच करोड़ रुपए तक कम की सालाना व्यक्तिगत आय पर 25 फीसद अधिभार लगाने का प्रस्ताव किया है। वहीं पांच करोड़ रुपए से अधिक की आय पर 37 फीसद का अधिभार देना होगा।

ढाई लाख रुपए की आय पर कर शून्य है। 2,50,000 से 5,00,000 रुपए पर पांच फीसद, 5,00,001 से 10,00,000 रुपए पर 20 फीसद, 10,00,000 रुपए से अधिक पर 30 फीसद कर चुकाना होगा। 60 साल से अधिक और 80 साल से कम उम्र के आयकरदाता के लिए कर ढांचे में 3,00,000 रुपए तक कर शून्य होगा। 3,00,001 से 5,00,000 रुपए पर पांच फीसद, 5,00,001 से 10,00,000 रुपए पर 20 फीसद, 10,00,000 रुपए से अधिक पर 30 फीसद। 80 साल से अधिक उम्र के आयकरदाता के लिए 5,00,000 रुपए की आय पर कर शून्य होगा। 5,00,001 से 10,00,000 रुपए पर 20 फीसद, 10,00,000 रुपए से अधिक पर 30 फीसद का कर चुकाना होगा। इसके अलावा करदाताओं को उनकी आमदनी 10,0000 रुपए से अधिक होने पर अधिभार देना होगा। कुल आय 50 लाख रुपए से अधिक लेकिन एक करोड़ से कम होने पर उसे कर पर 10 फीसद का अधिभार भी देना होगा। एक करोड़ से दो करोड़ तक की आय पर अधिभार की दर 15 फीसद, दो करोड़ से अधिक व पांच करोड़ रुपए तक की आय पर अधिभार 25 फीसद कर दिया गया है। किसी व्यक्ति की आय पांच करोड़ रुपए से अधिक होने पर उसे 37 फीसद की दर से अधिभार देना होगा।

सरकारी परिसंपत्तियां नहीं बेच रहे, सभी नौकरियां सुरक्षित : गोयल

नई दिल्ली, 5 जुलाई (भाषा)।

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि मंत्रालय की परिसंपत्तियों को बेचने की कोई योजना नहीं है और रेलवे की विनिर्माण इकाइयों के निगमीकरण की वजह से लोगों की नौकरियां नहीं जाएंगी।

उन्होंने कुछ हलकों में फैले को डर को खारिज किया कि सरकार रेलवे के कुछ कारखानों को निजी क्षेत्र को दे देगी। मंत्री ने रेलवे की उत्पादन इकाइयों में भरोसा जताते हुए संकेत दिया कि रेलवे की इकाइयां मेट्रो कोच भी बनाएंगी। रेलवे की निर्माण इकाइयां अभी ट्रेन-18 जैसे अत्याधुनिक कोच का निर्माण करते हैं और ट्रेन-20 के निर्माण की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने अपनी उत्पादन इकाइयों में बेचैनी के बीच एजंसी को दिए एक साक्षात्कार में कहा, हम सरकारी परिसंपत्तियों को नहीं बेच रहे हैं। हर किसी की नौकरी की सुरक्षा की जाएगी।

PUBLIC NOTICE

THIS IS FOR INFORMATION OF ALL THAT THIS FACTORY, LOCATED AT B-63 UPSIDC INDUSTRIAL AREA, SITE 4 SAHIBABAD, DISTT. GHAZIABAD, UTTAR PRADESH, IS IN POSSESSION OF OUR COMPANY PRIME NATURAL FROZEN FOODS EXPORT PVT. LTD. (NOW KNOWN AS M K OVERSEAS EXPORT PVT. LTD.) AS LESSEE.

DIRECTOR

PUBLIC NOTICE

THIS IS FOR INFORMATION OF ALL THAT THE FACTORY OF M K OVERSEAS PVT. LTD. LOCATED AT 7TH KM STONE, VILLAGE SAMGAULI, TEHSIL DERABASSI, DISTT. SAS NAGAR, PUNJAB, IS IN POSSESSION OF OUR COMPANY PRIME NATURAL FROZEN FOODS EXPORT PVT. LTD. (NOW KNOWN AS M K OVERSEAS EXPORT PVT. LTD.) AS LESSEE. THERE IS A STAY ORDER BY THE COURT IN FAVOUR OF OUR COMPANY.

DIRECTOR

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!

शाखा कार्यालयः सिविल लाइन्स, दिल्ली 13, अलीपुर रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली

श्री विकास गोयल

सार्वजनिक सूचना

ऋणधारकः बालाजी टेलीकॉम, प्रॉप.- श्री विकास गोयल

कुल बकाया राशिः रु. 9,00,37,134 + 01.10.2016 से उस पर आगे का ब्याज। **कुल स्वीकृत राशिः** रु. 36.55 करोड़

एतद्द्वारा आम जनता को अधिसूचित किया जाता है कि श्री विकास गोयल प्रॉप. बालाजी टेलीकॉम ने बैंक से रु. 9,00,00,000/- की ऋण राशि प्राप्त की है तथा उसके पुनर्भुगतान में चूक के कारण इस खाता को 01.10.2016 को एनपीए घोषित कर दिया गया है।
27.06.2018 को बैंक द्वारा ऋणधारकों को "विलफुल डिफॉल्टर" घोषित कर दिया गया है। ऋणधारक को 01.10.2016 से उस पर आगे के ब्याज तथा अन्य लागतों/ धनों के साथ रु. 9,00,37,134/- की राशि का बैंक को भुगतान करना है जिसके लिये बैंक ने उनके विरुद्ध वसूली कार्रवाई शुरू की है।
जनहित में सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित किये जाने के बाद ऋणधारक किसी अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये अधिकृत नहीं हैं।

तिथिः 5.7.2019, स्थानः नई दिल्ली — शाखा इन्कम्बैन्ट

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
आईएनसी-26
केन्द्र सरकार
नैगम कार्य मंत्रालय,
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र,
दिल्ली के समक्ष

कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6)(क) के विषय में
तथा
एस.जी. मारकोन्स प्राइवेट लिमिटेड
(CIN-U99999DL1994PTC061503)
पंजीकृत कार्यालय 4-सी, अयोध्या इंक्लेव, सेक्टर-13, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
.... याचिकादाता

एतद्द्वारा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि कम्पनी द्वारा **वृहस्पतिवार 20 जून, 2019** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय **"एनसीटी दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के संबंध में पारित विशेष प्रस्ताव के निबन्धनों में कम्पनी के संस्था ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की याचना हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत एक आवेदन, केन्द्र सरकार (शक्तियां क्षेत्रीय निदेशक को प्रति निधानित) के समक्ष, प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

कोई व्यक्ति, जिसका हित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित संशोधन से प्रभावित होने की संभावना है, अपने हित तथा आवेदन के विरोध के आधारों के उल्लेखयुक्त शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियां क्षेत्रीय निदेशक **एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर या क्षेत्रीय निदेशक, नैगम कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिन के भीतर सुपुर्द कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकता है और उसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को इसके निम्नवर्णित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भिजवाई जानी चाहिए:
4-सी, अयोध्या इंक्लेव, सेक्टर-13, रोहिणी, नई दिल्ली-110085

कृते एवं हिते
एस.जी. मारकोन्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
गौरव कान्त त्यागी
निदेशक
दिनांकः 05.07.2019 डीआईएनः00335974
स्थानः दिल्ली पताः एच. नं.-184 सुशीला कालेज रोड मॉडल टाउन ईस्ट गाजियाबाद-201001, उ.प्र.

सिडबी
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

निविदा नोटिस

सिडबी निम्नलिखित के लिए पात्र बोलीकर्ताओं से मुहरबंद आवेदन आमंत्रित करता है:
एमएसएमई संबंधी ऋणों के लिए आवेदनपत्र जुटाने हेतु प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट (डीएसए) सूचीबद्ध करने का अनुरोध (आरएफई)
विस्तृत आर.एफ.ई. दस्तावेज़ के लिए कृपया सिडबी वेबसाइट **https://www.sidbi.in** या केंद्रीय सार्वजनिक अधिप्राप्ति पोर्टल **www.eprocure.gov.in/cppp** देखें।
यदि कोई परिशिष्ट/शुद्धिपत्र/स्पष्टिकरण जारी होगा, तो वह उपर्युक्त वेबसाइटों में प्रकाशित किया जाएगा। आवेदन अंतिम रूप से जमा करने के पहले आवेदक कृपया उक्त वेबसाइटें देख लें। बोली जमा करने की अंतिम तारिख **29 जुलाई 2019** है।

SBI
कॉर्पोरेट सेंटर, तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह,
2री मंजिल, टॉवर "4", द आर्केड बिल्डिंग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
कफ परेड, मुंबई - 400 005.

ई-नीलामी के माध्यम से बैंकों/एआरसी/एनबीएफसी/एफआई को 100% नकद आधार पर वित्तीय आस्तियों की बिक्री

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से बैंकों/एआरसी/एनबीएफसी/एफआई को वित्तीय आस्तियों की बिक्री करने हेतु बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। ऐसी वित्तीय आस्तियों को खरीदने के इच्छुक बैंकों/एआरसी/एनबीएफसी/एफआई बैंक के साथ एक गैर-प्रकटीकरण करार निष्पादित करने के पश्चात, यदि पहले निष्पादित नहीं किया हो, बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। बैंक द्वारा समय-समय पर ऐसी वित्तीय आस्तियों को प्रदर्शित किया जाएगा। बैंक के साथ गैर-प्रकटीकरण करार का निष्पादन करने और अन्य पूछताछ के लिए, ऐसे इच्छुक बैंक/एआरसी/एनबीएफसी/एफआई ई-मेल आईडी **dgm.sr@sbi.co.in** पर संपर्क कर सकते हैं।
भारतीय स्टेट बैंक अपनी अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की प्रस्तावित बिक्री के लिए बैंकों/एआरसी/एनबीएफसी/एफआई से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है। इनमें ₹82.52 करोड़ की कुल बकाया राशि वाली (1) वित्तीय आस्ति शामिल हैं। पात्र भावि बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए "रुचि की अभिव्यक्ति" के रूप में अपनी इच्छा को सूचित करें। कृपया बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi** पर जाएँ। अधिक जानकारी के लिए Procurement & others>Auction Notices> e-Auction of financial assets to Banks/ARCs/NBFCs/FIs लिंक पर क्लिक करें।

स्थान: मुंबई
दिनांक: 06-07-2019
जारीकर्ता
उप महाप्रबंधक (एआरसी)

NAGPUR HOUSING AND AREA DEVELOPMENT BOARD, NAGPUR
म्हाडा MHADA
Gruhanirman Bhawan, Civil Lines, Nagpur.
Cont. No.: 0712-2562239
(REGIONAL UNIT OF MHADA)

E-TENDER NOTICE (B-1 Form)
Name of Work: Balance repair work of 320 T/s under HIG at Plot No. 5&6, MHADA CITY project at Empress Mill No. 5, Subhash Road, Nagpur.
Estimate Cost: ₹60,41,852/- (As per CSR 2008-09).
Bid Start to End: 06.07.2019 @ 12.00 Hrs. to 18.07.2019 @ 17.30 Hrs.
The detail tender notice on the portal https://mahatenders.gov.in.
Executive Engineer-I,
Nagpur Housing & Area Development Board, Nagpur.

आकाशदीप मैटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
सी आई एन : L28998DL1983PLC017150
पंजीकृत कार्यालय : 14, दयानंद विहार, बैकसाइड ग्राउंड फ्लोर, विकास मार्ग एक्सटेंशन, दिल्ली 110092, **दूरभाष :** +91-11-430110038,
वेबसाइट : www.akashdeepmetal.in **ई मेल :** swatiaugust.91@gmail.com

सूचना

सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि कंपनीज (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पढ़े जाते हुये कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 110 के प्रावधानों के अनुसार, 19.06.2019 दिनांकित नोटिस, जिसकी प्रति कंपनी की वेबसाइट www.akashdeepmetal.in और एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है,में निर्दिष्ट विषयों पर शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु डाक मतपत्र फार्म सहित डाक मतपत्र नोटिस प्रेषित करने का कार्य कंपनी ने 05.07.2019 को पूरा कर लिया है।

सदस्य जिनका नाम डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में "कट-ऑफ डेट" यानी 14.06.2019 को कार्य समय की समाप्ति पर दर्ज हैं, ही केवल डाक मतपत्र/ई-वोटिंग द्वारा अपना मत डाल सकते हैं। कोई व्यक्ति जो उक्त कट ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, इस नोटिस को केवल सूचना मात्र हेतु मानें और भविष्य में कंपनी के मतदान के लिए www.evotingindia.co.in पर एक अनुरोध भेजकर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

कंपनी अपने सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि मतदान, डाक मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिक मोड, दोनों के माध्यम से शनिवार, 06.07.2019 को सुबह 9.00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगा और रविवार 04.08.2019 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगा। 04.08.2019 के बाद सदस्यों से प्राप्त डाक मतपत्र/ई-वोटिंग मान्य नहीं होगी और डाक अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा उक्त तिथि के बाद मतदान की अनुमति नहीं होगी। सदस्य जिनको डाक मतपत्र नोटिस नहीं मिला है, वे कंपनी को आवेदन कर सकते हैं और डुप्लिकेट डाक मतपत्र फार्म प्राप्त कर सकते हैं।

डाक मतपत्र/ई-वोटिंग द्वारा मतदान के संबंध में कोई शिकायत हेतु श्री मोहित चौहान, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी को info.akashdeep14@gmail.com पर ई मेल द्वारा अथवा पंजीकृत कार्यालयः 14, दयानंद विहार, बैकसाइड ग्राउंड फ्लोर, विकास मार्ग एक्सटेंशन, दिल्ली 110092, या 011-43011038 पर संपर्क किया जा सकता है।

कृते **आकाशदीप मैटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड**
हस्ता/-
श्री मोहित चौहान
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.07.2019

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएँ विभाग)
दूसरा तल, परास टॉवर, सहारनपुर रोड, देहरादून, यू.के. 248171
प्रकाशन अधिसूचना
2019 की ओ.ए.सं. 02 के अन्तर्गत

(यथा समय संशोधित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उप नियम (2) के साथ पठित ऋणों की वसूली एवं दिवाला अधिनियम, 1993 की धारा (4) के तहत समन)
डीवाई.. संख्या 177 — दिनांक 15.05.2019
कार्पोरेशन बैंक बनाम मोहम्मद रफी खान एवं अन्य
1. मोहम्मद रफी खान पुत्र तजुरूद्दीन खान, प्रो0 मै अलिशा इंटरप्राईजेज, गांव एवं पोस्ट चखरेती, जनता रोड, सहारनपुर, यूपी 247001
2. संगीता, पत्नी हरीश, न्यू डिफेंस कॉलोनी, द्वारा मिलकाना, नगर निगम, थाना-कोतवाली, सहारनपुर, यूपी 247001
3. शोएब अली, पुत्र मोहम्मद रफी, गांव सरकडीं शेकू, थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर, यूपी 247001

जैसा कि उपरोक्त नाम के आवेदक बैंक ने आपके विरूद्ध **2019 के OA No. 02** के द्वारा **रू0 13,11,810/-** के ऋण की वसूली शुरू की है जिसमें कि माननीय न्यायाधिकरण ने ऋण वसूली एवं दिवाला अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अन्तर्गत सम्मन/नोटिस जारी किया था और यह माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष दिनांक **14.05.2019** को सूचीबद्ध किया गया था।

जैसा कि न्यायाधिकरण ने यह माना है कि आपको यह नोटिस सामान्य रूप में तामिल किया जाना सम्भव नही है, इसलिए प्रकाशन के माध्यम से यह नोटिस तामिल करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप न्यायाधिकरण के समक्ष दिनांक **12.07.2019 को सुबह 10.30 बजे** व्यक्तिगत रूप से या आपके द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हों।

यह ध्यान रहे कि न्यायाधिकरण के समक्ष निर्धारित तिथि व समय पर आपके उपस्थित न रहने पर, इस मामले की सुनवाई एवं निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

इसे मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायाधिकरण की मोहर के साथ दिनांक **15 मई, 2019** को जारी किया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश से
रजिस्ट्रार (I/C)
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएँ विभाग)
दूसरा तल, परास टॉवर, सहारनपुर रोड, देहरादून, यू.के. 248171
प्रकाशन अधिसूचना
2019 की ओ.ए.सं. 04 के अन्तर्गत

(यथा समय संशोधित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उप नियम (2) के साथ पठित ऋणों की वसूली एवं दिवाला अधिनियम, 1993 की धारा (4) के तहत समन)
डीवाई.. संख्या 178 — दिनांक 15.05.2019
कार्पोरेशन बैंक बनाम नवाज एवं अन्य
1. नवाज, पुत्र गुलजार, प्रोपराईटर, मै0 अक्कम वुड कार्विंग, 12/2364इ, नदीम कॉलोनी, हिना मस्जिद मंडी समिति रोड, सहारनपुर, यूपी 247001
2. अबरार, पुत्र फुरकान अहमद, पीरवाली गली, कमला कॉलोनी, सहारनपुर, यूपी 247001

जैसा कि उपरोक्त नाम के आवेदक बैंक ने आपके विरूद्ध **2019 के OA No. 04** के द्वारा **रू0 14,06,380/-** के ऋण की वसूली शुरू की है जिसमें कि माननीय न्यायाधिकरण ने ऋण वसूली एवं दिवाला अधिनियम, 1993 की धारा 19 (4) के अन्तर्गत सम्मन/नोटिस जारी किया था और यह माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष दिनांक 14.05.2019 को सूचीबद्ध किया गया था।

जैसा कि न्यायाधिकरण ने यह माना है कि आपको यह नोटिस सामान्य रूप में तामिल किया जाना सम्भव नही है, इसलिए प्रकाशन के माध्यम से यह नोटिस तामिल करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप न्यायाधिकरण के समक्ष दिनांक **12.07.2019 को सुबह 10.30 बजे** व्यक्तिगत रूप से या आपके द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हों।

यह ध्यान रहे कि न्यायाधिकरण के समक्ष निर्धारित तिथि व समय पर आपके उपस्थित न रहने पर, इस मामले की सुनवाई एवं निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।

इसे मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायाधिकरण की मोहर के साथ दिनांक **15 मई, 2019** को जारी किया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश से
रजिस्ट्रार (I/C)
ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून

RITES THE INFRASTRUCTURE PEOPLE
राइट्स लिमिटेड
(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)
पंजीकृत कार्यालयः राइट्स लिमिटेड, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110 092, भारत
सीआईएनः L74899DL1974GOI007227

45वीं वार्षिक आम बैठक, बुक बंदी एवं रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 45वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 30 जुलाई, 2019 को प्रातः 10.00 बजे जोरावर हॉल, मानेकशा सेंटर, खैबर लाइन्स, दिल्ली छावनी, नई दिल्ली-110010 में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज का निष्पादन किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 45वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट के साथ उपस्थिति पर्ची और प्राक्सी फार्म इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजें गये हैं जिनके ई-मेल आईडी पहले से ही कम्पनी या डिपॉजिटरी भागीदार के पास पंजीकृत हैं बशर्ते कि उन सदस्यों ने इसकी हार्ड कॉपी के लिए अपना अनुरोध पत्र नहीं दिया हो। इसकी भौतिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेजी गई हैं जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी या डिपॉजिटरी भागीदार के पास पंजीकृत नहीं हैं।
एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.rites.com पर निवेशक खण्ड के अंतर्गत उपलब्ध है। सदस्यगण जिन्हें एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, वह इसे कम्पनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी सचिव के पास इसकी एक प्रति मंगवाने के लिए अपना अनुरोध पत्र भेज सकते हैं। कथित एजीएम में निपटाए जाने वाले सभी कामकाज के संबंध में दस्तावेज एजीएम की तिथि सहित एवं तक किसी भी कार्यदिवस में व्यवसाय घंटों के दौरान कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।
कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2013, यथासंशोधित के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 और सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीयन विनियम) के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुसरण में, कम्पनी 23 जुलाई, 2019 (कट-ऑफ तिथि) को भौतिक प्रारूप या डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले अपने सदस्यों को एजीएम के स्थान के अलावा अन्य स्थान से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराये गये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रत्येक मद पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देने की सुविधा उपलब्ध करा रही है।
सभी सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:
1. 45वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य एवं विशेष कामकाज का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग द्वारा किया जा सकता है;
2. रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 26 जुलाई, 2019 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) प्रारंभ होगी और सोमवार, 29 जुलाई, 2019 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी;
3. रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में वोट देने के लिए योग्यता के निर्धारण हेतु कट-ऑफ तिथि 23 जुलाई, 2019 होगी;
4. कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिग्रहित करता है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23 जुलाई, 2019 को शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर या जारीकर्ता/आरटीए के पास अनुरोध भेजकर अपना लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
तथापि, यदि सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है तो वह अपना वोट देने के लिए वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
5. आगे सूचित किया जाता है कि:
क) 29 जुलाई, 2019 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी;
ख) बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम के स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, केवल वही बैलेट पेपर के माध्यम से बैठक में अपना वोट देने के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं;
ग) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वह एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बैठक में दोबारा अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी। यदि यह पाया जाता है कि सदस्य ने पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट दिया है और बाद में वह एजीएम में भी अपना वोट देता है, तो उसके द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से दिये गये वोट पर ही विचार किया जाएगा;
घ) ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात् 23 जुलाई, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार किये गये लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वहीं रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से वोट देने के लिए पात्र होगा।
6. कम्पनी की एजीएम की सूचना सहित कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.rites.com एवं नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड की ई-वोटिंग वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर प्रकाशित की गई है।
7. किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए सदस्यगण वेबसाइट www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन कर सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी महात्रे, प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, "ए" विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 से पदनामित ई-मेल पतेः pallavid@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in या फोन नं. - +91 22 24994545 पर सम्पर्क कर सकते हैं या श्री स्वपन कुमार नासकर, एवीपी-नार्थ इंडिया ऑपरेशन, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि., नोबल हाईट्स, प्रथम तल, प्लॉट नं. एनएच-2, एलएससी, सी-1 ब्लॉक, नजदीक सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 से फोन नं. +91 11 49411000, एक्स. 7106 एवं ई-मेलः swapann@linkintime.co.in पर सम्पर्क कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा वोटिंग से जुड़ी आपकी समस्या का समाधान करेंगे।
8. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 और सूचीयन विनियम के विनियम 42 के तहत कम्पनी की एजीएम के प्रयोजन हेतु सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक 24.07.2019 से 30.07.2019 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेगी। कम्पनी द्वारा निर्धारित रिकार्ड तिथि अर्थात् 11 जुलाई, 2019 को शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

बोर्ड के आदेशानुसार
हस्ता./-
आशीष श्रीवास्तव
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
स्थान : गुरुग्राम
तिथि : 06/07/2019

नई दिल्ली